

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462026

दूरभाष 0755 2583653 ईमेल- rajyayojna@gmail.com

क्रमांक/रा.यो./नि.शु.साय/स/01/2019-20/522

भोपाल, दिनांक 23/12/2019

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

विषय:- वर्ष 2019-20 में कक्षा 6वीं एवं 9वीं हेतु नि:शुल्क सायकिल वितरण योजनान्तर्गत सायकिलो के अन्तिम सत्यापन (वेरिफिकेशन) के संबंध में।

संदर्भ:- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र /20-2 भोपाल, 158/211/2016 दिनांक 01.02.2018।

2. संचालनालय का परिपत्र-1 पृ.क्रमांक/रा.यो./नि.शु.साय./स/01/2019-20/85 भोपाल, दिनांक 29.05.2019।

--00--

विषयान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कक्षा 6वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों हेतु प्रदाय की जाने वाली सायकिलो के वेरिफिकेशन के संबंध में समय-समय पर शासन/संचालनालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो।

2. सायकिल वेरिफिकेशन के संबंध में समय-समय पर विडियो कांफ्रेंसिंग, ईमेल एवं Whatsapp के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार शत प्रतिशत छात्रों का वेरिफिकेशन (पात्र/अपात्र) एवं सायकिलों के चेसिस नंबर की एन्ट्री समय-सीमा में शिक्षा पोर्टल की जानी थी, किन्तु अनेक जिलो द्वारा आज दिनांक तक भी उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं किये गए हैं। शीघ्र ही वेरिफिकेशन संबंधी कार्यवाही शिक्षा पोर्टल पर बंद कर दी जावेगी। यदि कोई पात्र विद्यार्थी वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण सायकिल योजना से वंचित होता है, तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक का होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि सायकिलो के वेरिफिकेशन एवं चेसिस एन्ट्री का कार्य दिनांक 24.12.2019 तक अनिवार्यतः पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

07/01/2022



//2//

यदि कोई छात्र सायकिल हेतु पात्रता रखता है, किन्तु उसका नाम किसी तकनीकी कारण/अन्य कारण से पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसे छात्रों हेतु ऑफलाईन सायकिल वितरण की अनुमति वरिष्ठ स्तर से प्राप्त कर शीघ्र सायकिल वितरित करना सुनिश्चित करें।

9

(गौतम सिंह)
संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 23/12/2019

पृ.क्रमांक/रा.यो./नि.शु.साय/स/01/2019-20/523

प्रतिनिधि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्भव भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र.।

9

संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

1/11


// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर म.प्र. //

प्रतिलिपि:-

पृ./क./योजना/नि:साय.वि./2019/3496

इन्दौर दिनांक 26/12/19

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर इन्दौर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि./शास.हाईस्कूल जिला इन्दौर की ओर लेख है कि पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला इन्दौर की ओर लेख है कि अपने वि.ख.अंतर्गत शेष रही वितरित सायकल की चेचिस इन्ट्री एवं कंपनी से प्राप्त हुई सायकिलो की इन्ट्री तत्काल पूर्ण करावे।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इन्दौर